# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा

## पीठासीन अधिकारी–त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

**प्रकरण संख्या : 03/2019**
**तारीख दायर : 09.01.2019**

**अनवान**

1. राजू पिता रूपा जाति गुजर निवासी हरपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

**––प्रार्थी**

**बनाम**

1. जमनाबाई पत्नी कालु जाति धाकड़ निवासी हरपुरा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
2. कालिया पिता घीसा जाति धाकड़ निवासी हरपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
3. तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

**––अप्रार्थीगण**

**उपस्थित :–**

1. श्री दिनेश तम्बोली (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. श्री सुरेश त्रिपाठी (अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2)
3. अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार माण्डलगढ़ की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित।

## प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

**–: निर्णय :–**

**निर्णय दिनांक : 27.02.2020**

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की ग्राम हरपुरा पटवार हल्का धामणिया स्थित भूमि आराजी संख्या 108 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा, आराजी संख्या 110 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, आराजी संख्या 111 रकबा 8 बिस्वा, आराजी संख्या 216 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, आराजी संख्या 217 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, आराजी संख्या 240 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, आराजी संख्या 244 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, आराजी संख्या 245 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, आराजी संख्या 247 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा, आराजी संख्या 297/108 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, आराजी संख्या 298/109 रकबा 13 बिस्वा, आराजी संख्या 307/233 रकबा 1 बीघा कुल किता 12 रकबा 32 बीघा 7 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 245, 247, 244 में आने जाने का बरसों से आराजी संख्या 260 जो आम रास्ते से होते हुए आराजी संख्या 239 में रास्ता छुटा हुआ है जो आराजी संख्या 241 जो पूर्व से पश्चिम की ओर होता हुआ आराजी संख्या 241 व 243 से होता हुआ आराजी संख्या 245, 247, 244 में प्रवेश करता है। उक्त रास्ते का प्रार्थी संजबेल ट्रेक्टर आदी लाने ले जाने का एक कदिमाना रास्ता करीब 12 बाई 12 फीट चोड़ा रास्ता चला आ रहा है। उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व में अंकित था लेकिन वर्तमान नक्शे में उक्त रास्ता अंकित नही किया गया है। प्रार्थी की आराजियात में पहुँचने का एक मात्र रास्ता ग्राम हरपुरा से आराजी संख्या 239, 240, 241, 243 के पूर्व से पश्चिम से होता हुआ प्रार्थी की आराजी में पहुँचता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की खाते की आराजियात में पहुँचने का अन्य कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी पीढी दर पीढी से करते चले आ रहे है। आराजी संख्या 240 प्रार्थी के खाते की भूमि है। विपक्षीगण ने ऊपर अंकित रास्ते के उपयोग उपभोग में कभी भी बाधा उत्पन्न नही की किन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं होने के कारण विपक्षीगण आये दिन झगड़ा फसाद कर रास्ते के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने लग गये तथा विपक्षीगण ने दिनांक 20.08.2018 को ऊपर अंकित रास्ते के उपयोग उपभोग करने से बन्द कर दिया जिससे प्रार्थी अपने खाते की आराजियात पर आने जाने सजबेल आदि लाने

ले जाने से महरूम हो गया है तथा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त रास्ता बन्द हो जाने के कारण प्रार्थी को असहनीय क्षति हो रही है। न्याय की दृष्टि से उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जाना आवश्यक हो गया है वरना प्रार्थी को असहनीय क्षति होगी तथा उक्त प्रार्थी अपने खातेदारी की भूमि में काश्त करने से महरूम रह जायेगें। प्रार्थी उपरोक्त अंकित रास्ते की डी.एल.सी. रेट जमा कराने को तैयार है। प्रार्थी व विपक्षीगण के खाते की नकले व नक्शा प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जावें। प्रार्थी डी.एल.सी. रेट जमा कराने को तैयार है।

बाद जांच प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र भेज कर तलब किया गया। दिनांक 09.01.2020 को विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश त्रिपाठी द्वारा अधिकार पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसकी नकल अधिवक्ता प्रार्थी को दिलवायी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया गया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में मौजा हरपुरा की आराजी संख्या 245, 247, 244 भूमि प्रार्थी की है। उक्त आराजियात में आने जाने का जो रास्ता प्रार्थी द्वारा आराजी संख्या 240, 241 व 243 में होकर जाना बताया वो गलत तथा तथ्यों के विपरीत है। उक्त आराजियात पर वर्तमान में कोई भी रास्ता उपलब्ध नहीं है। आराजी संख्या 249 व 244 में आने जाने के वास्ते आम रास्ता आराजी संख्या 246 पर उपलब्ध है जो पूर्व में हरपुरा सालमपुरा गाँवों को आपस में लिक करता है। वर्तमान में प्रार्थी अपने खाते वाली आराजी में जाने के लिए पश्चिमी दिशा से होकर आराजी संख्या 248 के दक्षिण में होकर अपनी आराजी संख्या 247, 245 में आता जाता है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को आम रास्ता आराजी संख्या 246 का उपयोग करने से बेजा रूप से बाधा पहुँचाता है। विपक्षीगण भी अपनी आराजी संख्या 243, 241 व 240 में आने जाने के वास्ते आराजी संख्या 245 के दक्षिण दिशा की मेर का उपयोग करते है। विपक्षी को भी प्रार्थीयान की आराजी संख्या 245 के दक्षिण दिशा से होकर प्रार्थी व विपक्षीगणों की शामलाती आहता चाह संख्या 242 पर आने जाने में परेशानी होती है इस आहता चाह व आराजी संख्या 243, 241 का रास्ता प्रार्थी के स्वामित्व वाली आराजी संख्या 245 के दक्षिण दिशा से होकर गुजरता है। आराजी संख्या 239 के खातेदार को पक्षकार मुकदमा बनाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी व विपक्षीगणों को संयुक्त स्वामित्व की आराजी पर जाने के वास्ते आराजी संख्या 245 के दक्षिण दिशा में रास्ता दिलाया जावे जिससे होकर वह आम रास्ते आराजी संख्या 246 का उपयोग कर सके।

दिनांक 09.01.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ़ से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा रिपोर्ट में अवगत करवाया गया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम हरपुरा पटवार मण्डल धामणियां की आराजी संख्या 244, 245 व 247 में से 13 फीट रास्ता पहुँचने के लिए विपक्षीगण के आराजी संख्या 243 में रास्ते हेतु मांग करते हुए आवेदन किया गया। प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए मौके पर व राजस्व रिकॉर्ड में अन्य कोई रास्ता नही हैं। प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए उनके द्वारा मांगा गया रास्ता लघुतम है। विपक्षी की खाते की 0.01 बिस्वा भूमि विपक्षीगणो की खातेदारी से भूमि रास्ते के उपयोग हेतु प्रार्थी की मांग के अनुसार रास्ते हेतु उपयोग में ली जावेगी। पहुँचने 239, 240 व 242 में रास्ता चालू होकर कोई समस्या नहीं है। रास्ते हेतु 0.01 बिस्वा भूमि का उपयोग होगा जिसकी डी.एल.सी. दर 76725/– रूपये प्रति बीघा से 3486/– रूपये बनती है। दुगुनी दर 6972/– रूपये है। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट से अवगत करवाया गया कि प्रार्थी की आराजी संख्या 245 व 247 से अन्य सरकारी रास्ता आराजी संख्या 246 मौजूद है, परन्तु उक्त रास्ता मौके पर बन्द होने के साथ–साथ थोडे आगे जाकर वापस रिकॉर्ड में बन्द हो जाता है। वादी द्वारा चाहा गया रास्ता 13 फीट देने पर प्रतिवादी की आराजी संख्या 243 में 0.01 बिस्वा भूमि रास्ते के उपयोग में आती है।

दिनांक 27.02.2020 को पत्रावली बहस हेतु पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी द्वारा मांगा गया रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जावें। प्राथी डी.एल.सी. रेट जमा कराने को तैयार है। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि निवेदन है कि प्रार्थी व विपक्षीगणों को संयुक्त स्वामित्व की आराजी पर जाने के वास्ते आराजी संख्या 245 के दक्षिण दिशा में रास्ता दिलाया जावे जिससे होकर वह आम रास्ते आराजी संख्या 246 का उपयोग कर सके।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों यथा जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 ग्राम हरपुरा पटवार मण्डल धामणिया नक्शा ट्रेस तहसील माण्डलगढ़ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट क्रमांक/कोर्ट/2020/23 दिनांक 04.01.2020 का अवलोकन किया। तहसीलदार रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आराजी संख्या 239, 240 एवं 242 से वर्तमान में रास्ता चालू है एवं आवागमन में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। आराजी संख्या 243 में से रास्ता अंकित किए जाने पर 0.01 बीघा भूमि की आवश्यकता होगी। एक अन्य वैकल्पिक रास्ता आराजी संख्या 246 भी स्थित है जिसमें से होकर प्रार्थी की कृषि भूमि तक पहुँचा जा सकता है परन्तु भू–अभिलेख निरीक्षक धामणिया रिपोर्ट के अनुसार उक्त रास्ता मौके पर बन्द होने के साथ रिकॉर्ड में भी बन्द हो जाता है अर्थात् रास्ते के पश्चात् पुनः खातेदारी भूमि स्थित है। अतः प्रथमदृष्टया प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ही दिया जाना उचित प्रतीत होता है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को ग्राम हरपुरा पटवार हल्का धामणिया तहसील माण्डलगढ़ स्थित कृषि भूमि आराजी संख्या 244, 245, व 247 पर पहुँचने के लिए एवं सजबैल, ट्रैक्टर आदि लाने ले जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के आराजी संख्या 243 में से 0.01 बिस्वा भूमि को 251 (क) में राजस्थान सरकार की संशोधित अधिसूचना नम्बर F3(2) rev.6/03/pt./7 दिनांक 02.03.2012 नियम 70(1) (।।) (a) के अनुसार 76725/– रूपये प्रति बीघा डी0एल0सी0 की दर से भूमि 0.01 बिस्वा के 3486/– रूपये की दुगुनी राशि 6972/– रूपये राजकोष में मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा में जमा करवाने पर गैर मू. रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक आम रास्ता रहेगा।

आदेश आज दिनांक 27.02.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

(त्रिलोक चन्द मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Trilok Chand Meena
Date: 2020.02.28 18:09:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: